तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.06/2022	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
20.12.2022	पत्रावली पेश हुई। श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (एक) कैलाश कुमार घांची पुत्र बाबुलाल घांची, निवासी– नगर पालिका के पास, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म कैलाश ट्रेडिंग कम्पनी, अनाज मण्डी, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–2 (दो) छगनलाल सोलंकी पुत्र रुपाराम सोलंकी, निवासी– घांचियों का वास, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक; शंकर टी ट्रेडर्स, राजेन्द्र मार्केट, तहसील– सुमेरपुर, जिला– सिरोही अनुपस्थित। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 13.2.2021 को फर्म कैलाश ट्रेडिंग कम्पनी, अनाज मण्डी, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी कैलाश कुमार घांची पुत्र बाबूलाल घांची, जाति– घांची, निवासी– नगर पालिका के पास, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ चाय (शंकर ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1364 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./126/Act/2021/224 दिनांक 24.2.2021 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 (कैलाश कुमार घांची) को नोटिस की तामिल होने के बावजूद उपस्थित नही हुआ। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या–2 (छगनलाल सोलंकी) की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी संख्या–2 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में प्रतिवादी छगनलाल सोलंकी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, जिन्होनें बहस के दौरान प्रतिवादी छगनलाल सोलंकी की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ चाय (शंकर ब्राण्ड) का नमूना लेने के संबंध में न्याय निर्णयन आवेदन में वर्णित कार्यवाही प्रतिवादी कैलाश कुमार घांची के सामने निष्पादित नही की गई है एवं न ही ऐसी कोई कार्यवाही प्रतिवादी कैलाश कुमार के संस्थान पर निष्पादित की गई तथा न ही प्रतिवादी कैलाश कुमार को नमूना क्रय की राशि दी गई है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णय आवेदन में वर्णित प्रक्रिया नही अपनाई है तथा नमूना लेने की कार्यवाही विधि अनुरुप नही की गई है। आवेदक द्वारा Nabl Accredeted Lab से जांच कराने के संबंध में प्रतिवादीगण को कोई सूचना [illegible] विश्लेषक, जोधपुर के जांच रिपोर्ट की प्रति प्रतिवादीगण [illegible] गई है, इस कारण से प्रतिवादी उक्त खाद्य [illegible] द्वितीय भाग की रेफरल लेब से [illegible] रहा है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि[illegible] 2006 की धारा 46 की उपधारा 4 ....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:30:06 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.06/2022	नम्बर व तारिख अहकाम, जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

का उल्लंघन है। आवेदक द्वारा प्रतिवादी कैलाश कुमार घांची के समक्ष नमूना लेने की कार्यवाही सम्पादित नही करने से नमूना लेने की पूरी कार्यवाही संदेहास्पद है। यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही दोषपूर्ण व अवैध है। यह कि प्रतिवादी छगनलाल सोलंकी द्वारा मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ चाय (शंकर ब्राण्ड) का विक्रय नही किया गया है। यह कि F.S.S.A.I. द्वारा जारी परिपत्र जो भारत सरकार एवं सभी राज्य सरकारों को प्रेषित किया है उसमें मिथ्याछाप वाले प्रकरणों में संबंधित फर्म को लेबल पर हुई त्रुटि में सुधार का नोटिस दिया जाकर ऐसे प्रकरणों का निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया है। अतः आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे।

हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 13.2.2021 को समय 4.15 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म कैलाश ट्रेडिंग कम्पनी, अनाज मण्डी, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से कैलाश कुमार घांची पुत्र बाबूलाल घांची, जाति– घांची, निवासी– नगर पालिका के पास, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ चाय (शंकर ब्राण्ड) बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ चाय (शंकर ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह श्री सिद्धार्थ तोमर, वार्ड बॉय के समक्ष प्रपत्र 5ए में विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता प्रतिवादी कैलाश कुमार घांची को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान के अन्दर बिक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ चाय (शंकर ब्राण्ड) के 4 सील्ड पैक्ड बैग (प्रत्येक 5 किलोग्राम) में से खाद्य पदार्थ चाय (शंकर ब्राण्ड) के एक सील्ड पैक्ड बेग को खोलकर उसमें मौजूद चाय (शंकर ब्राण्ड) को हिलामिलाकर एकरुप किया एवं इस एक रुप किये हुए चाय (शंकर ब्राण्ड) में से 2 किलोग्राम चाय (शंकर ब्राण्ड) को एक साफ, सूखे, खाली भिगोने में खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 361/– (अक्षरे रुपये तीन सौ इकसठ मात्र) प्रतिवादी कैलाश कुमार घांची को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1364, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ चाय (शंकर ब्राण्ड) आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाह के समक्ष खरीदशुदा चाय (शंकर ब्राण्ड) [illegible] साफ, सूखे एवं खाली जारों में बराबर–बराबर मात्रा में भरा [illegible] ढक्कन से से एयरटाईट बन्द किया। प्रत्येक [illegible] लेबल गोंद से चिपकाया एवं एक नमूना जार के साथ [illegible] (शंकर ब्राण्ड) का मूल लेबल

.......लगातार

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:30:06 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.06/2022	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	लगाकर टेप से चिपकाया। चारों नमूना जारों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1364 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता, गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक-एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो-दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग-अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 15.12.2021 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा भावना देवी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 13.2.2021 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार,, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म कैलाश ट्रेडिंग कम्पनी, अनाज मण्डी, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता कैलाश कुमार प्रजापत से खाद्य पदार्थ चाय (शंकर ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ चाय (शंकर ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1364 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./126/Act/2021/ 224 दिनांक 24.2.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ चाय (शंकर ब्राण्ड) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी कैलाश कुमार प्रजापत की फर्म कैलाश ट्रेडिंग कम्पनी, अनाज मण्डी, पिण्डवाडा द्वारा खाद्य पदार्थ चाय (शंकर ब्राण्ड) के 5-5 किलोग्राम सील्ड पैक्ड बेग जरिये बिल फर्म शंकर टी ट्रेडर्स, राजेन्द्र मार्केट, सुमेरपुर से क्रय किये थे जो प्रतिवादी छगनलाल सोलंकी की फर्म है। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि खाद्य पदार्थ चाय (शंकर ब्राण्ड) [illegible] राजेन्द्र मार्केट, सुमेरपुर ही है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अ[illegible]6 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वि[illegible] इसके अनुसार मिथ्याछाप [illegible] विक्रेता, वितरक, पैकर व विनिर्माता [illegible] प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण ने मिथ्याछाप (Misbr[illegible]ed) खाद्य पदार्थ चाय (शंकर ब्राण्ड) ......लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:30:06 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.06/2022	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ चाय (शंकर ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी कैलाश कुमार घांची पुत्र बाबुलाल घांची, निवासी– नगर पालिका के पास, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म कैलाश ट्रेडिंग कम्पनी, अनाज मण्डी, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 3,000/– (अक्षरे रुपये तीन हजार मात्र) की एवं मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ चाय (शंकर ब्राण्ड) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु प्रतिवादी छगनलाल सोलंकी पुत्र रुपाराम सोलंकी, निवासी– घांचियों का वास, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म शंकर टी ट्रेडर्स, राजेन्द्र मार्केट, तहसील– सुमेरपुर, जिला– पाली पर राशि रुपये 5,000/– (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादीगण कैलाश कुमार घांची व छगनलाल सोलंकी को आदेशित किया जाता है कि उन पर आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन में जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 31.1.2022 को पेश हो। (के.आर.खौड़) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही Signature Not Verified Digitally signed by Kalu Ram Khod Date: 2023.03.21 15:30:06 IST Reason: SelfAttested	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)